


अधिसूचना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वर्ष 2019-20 में की गयी घोषणा संख्या 221 की अनुपालना में राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 के अन्तर्गत समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड/भवनों की बकाया लीज राशि (Lease Amount) एकमुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। इस छूट की समय सीमा दिनांक 31.12.2019 तक प्रभावी रहेगी।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की आई.डी. संख्या 101903607 दिनांक 29.07.19 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक:

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/19/30540-30990
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/अधिशार्पी अधिकारी, नगरीय निकाय, समस्त राजस्थान।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त अधिकारी, निदेशालय एवं उपनिदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
10. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी